न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—486/2019/225 (2019/00486)

1. श्रीमती गीता पुत्री स्व0 सुवासिंह, पत्नि विक्रम सिंह, जाति रावत, निवासी हाल ग्राम खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सुन्दर पुत्र कैलाश पौत्र सुवा,
2. सुश्री पूजा पुत्री कैलाश पौत्री सुवा,
   दोनों नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सीता देवी पत्नि कैलाश, जाति रावत, निवासी ग्राम केसरपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. श्रीमती फेकी पत्नि स्व0 सुवासिंह,
4. कैलाश पुत्र स्व0 सुवासिंह,
5. नारायण पुत्र स्व0 सुवासिंह,
6. उप पंजीयक, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।
8. श्रीमती मीरा देवी पत्नि मदन,
9. विजयसिंह पुत्र मदन,
10. लाली पुत्री मदन,
11. मंजू पुत्री मदन,
12. संजू पुत्री मदन,
13. सीमा पत्नि विक्रम,
14. अंजू पुत्री विक्रम,
15. भवानीसिंह पुत्र विक्रम,
    दोनों नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सीमा पत्नि विक्रम।
16. रूकमा पत्नि बिरदा,
17. महेन्द्र पुत्र बिरदा, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रूकमा,
18. गेनी पुत्री मंगला,
19. गुमानी पुत्री मंगला,
20. मोहनी पुत्री मंगला,
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम केसरपुरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 9.10.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 115/2017.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 5 एवं 8 से 20 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 6 व 7.

निर्णय

दिनांकः— 10.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसागंन के आदेश दिनांक 9.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 7 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी आराजियात प्रार्थना पत्र में वर्णित वाके ग्राम केसरपुरा, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है जिस पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजियात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक आराजियात है । विवादित भूमियां प्रार्थीगण के दादा सुवा सिंह पुत्र सुरा की पैतृक आराजी रही है जिसमें प्रार्थीगण के दादा का 1/2 हिस्सा निहित होकर वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पैतृक भूमियां होने से वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण का जन्म से हक, हिस्सा व अधिकार निहित करता है किन्तु अप्रार्थीगण पैतृक भूमियों में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को विवादित आराजियात से बेदखल करने व भूमि का अन्यंत्र बेचान करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 9.10.2019 को पारित कर प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने बाबत् तीनों आज्ञापक बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है जबकि उन्हें स्पष्ट रूप से पृथक–पृथक तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के को तय करना आवश्यक था । इसके अभाव में अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में अंतिम निर्णय गुणावगुण पर करना आवश्यक है जबकि मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् पारित अंतरिम आदेश को अंतिम नहीं किया जा सकता है तथा अभिवचनों से बाहर जो अनुतोष ही नहीं चाहा गया है उसे प्रदान नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 का आदेश नॉन–स्पीकिंग आदेश है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 9.10.2019 को प्रार्थिया सहित सभी की प्रोपर तामील मानकर उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश पारित कर उसी दिन अंतिम निर्णय पारित किया है जबकि दिनांक 3.1.2018 को अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश कर दिया गया था जिसके बाद पत्रावली शेष की तलबी में नियत रही । अधी0न्याया0 द्वारा केवल मात्र तारीख तब्दील की जाती रही है । बरवक्त बहस अभिभाषक को कोई सूचना अथवा आवाज नही दी गई न ही जवाब का कोई अवसर ही प्रदान किया गया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को

साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नही माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को नजरअदांज किया कि अपीलांट रिकार्डेड सह–खातेदार है जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है तथा एक सहखातेदार को अपनी खातेदारी भूमि पर उपयोग उपभोग एवं बेचान से पाबंद नहीं किया जा सकता है । वादीगण ने वाद जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 के आधार पर पुराने नंबरों से पेश किया है जबकि वर्तमान में प्रचलित जमाबंदी के नंबर एवं खाता पृथक है जिसका कोई हवाला एवं स्पष्टीकरण नहीं दिया है । खसरा नंबर 1282, 1254 व 1255 प्रार्थिया की खातेदारी की अलग भूमियां है जिसे भी वाद में शामिल कर लिया गया है जबकि उक्त आराजियात प्रार्थीया के हक में किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र में वादीगण की माता सीतादेवी एवं पिता कैलाश सिंह बतौर गवाह उपस्थित होकर विक्रय को स्वीकार किया है । इस प्रकार स्वंय ही बेचान सहमती प्रदान कर रहे है तथा स्वंय ही अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाह रहे है । प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2003 पेज 1282, आर0बी0जे0 2016 पेज 244, डी0एन0जे0 2009 पेज 232, आर0बी0जे0 2012 पेज 5, आर0बी0जे0 1997 पेज 235 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0काश्त0अधि0 के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपने पिता के हक व हिस्से की आराजियात में से हिस्सा प्राप्त करने हेतु पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की आराजी ग्राम केसरपुरा तहसील पीसांगन में स्थित है जो संयुक्त रूप से कब्जे काश्त मे चली आ रही है । विवादित आराजियात पैत्रिक आराजियात है जिसमें प्रार्थीगण को जन्म से हक व अधिकार है । अप्रार्थीगण को पैतृक भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नही है । अतः वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को विवादित आराजियात रहन, बय, मुंतकिल नहीं करने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 9.10.2019 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को विवादित आराजियात को मूल वाद के निस्तारण रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये ।

6. अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 ग्राम केसरपुरा, तहसील पीसांगन के खाता संख्या नया 462 पुराना 76 के खसरा संख्या 1254 एवं 1255 के खातेदार मीरादेवी पत्नि मदन, विजयसिंह पुत्र मदन, लीला, मंजू, संजू पुत्रिया मदन, सीमा पत्नि विक्रम, अंजू ना0बा0पुत्री विक्रम, भवानीसिंह ना0बा0पुत्र विक्रम बसब माता खुद सीमा, रूकमा पत्नि बिरदा, महेन्द्र वल्द बिरदा, गेनी, गुमानी, मोहनी पुत्रियां मंगला 1/2 हिस्सा, फेफी पत्नि स्व0 सुवासिंह, नारायणसिंह, कैलाशसिंह पि0 सुवासिंह, गीता पुत्री सुवासिंह 1/4 हिस्सा सा0देह गीतादेवी पत्नि विक्रमसिंह 1/4 हिस्सा कौम रावत सा0 खानपुरा अजमेर खातेदार दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया 463 पुराना 76 के खसरा संख्या 1282 में दर्ज अंकन के

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अनुसार मीरादेवी पत्नि मदन, विजयसिंह पुत्र मदन, लीला, मंजू, संजू, पुत्रिया पदम, सीमा पत्नि विक्रम, अंजू ना0बा0 पुत्री विक्रम, भवानीसिंह ना0बा0पुत्र विक्रम बसब माता खुद सीमा, रूकमा पत्नि बिरदा, महेन्द्र वल्द बिरदा, गैनी, गुमानी, मोहनी पुत्रियां मंगला 1/2 हिस्सा सा0देह, गीतादेवी पत्नि विक्रमसिंह 1/2 हिस्सा कौम रावत सा0 खानपुरा अजमेर खातेदार दर्ज है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने स्वंय को खातेदार कैलाश पुत्र सुवा का वारिस होना अंकित कर पिता के हक व हिस्से की आराजियात में स्वंय के हक व हिस्से बाबत् वाद एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ पारिवारिक सजरा पेश नहीं किया है ना ही यह स्पष्ट किया है कि विवादित आराजियात में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कितना हक व हिस्सा है । इन सब तथ्यों का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा किया जावेगा । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ज्यादा से ज्यादा अपने पिता के हक व हिस्से की आराजियात में स्वंय के हिस्से बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी थी किन्तु प्रार्थीगण ने अन्य आराजियात को भी वाद में सम्मिलित कर संपूर्ण आराजियात बाबत् अधी0न्याया0 से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.10.2019 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण के पिता कैलाश पुत्र सुवासिंह के हक व हिस्से तक की आराजियात में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के हक व हिस्से की आराजियात का रहन, बेचान, हस्तातंरण इत्यादि नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर